न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/161

1. प्रियांशु नागर आत्मज कौशल किशोर नाबालिग जरिये वली माता लक्ष्मी बाई पत्नी कौशल किशोर जाति धाकड़ निवासी ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
2. रिषभ नागर आत्मज कौशल किशोर नाबालिग जरिये वली माता लक्ष्मी बाई पत्नी कौशल किशोर जाति धाकड़ निवासी ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. बृजमोहन आत्मज नन्दा जाति धाकड़ निवासी ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
2. जितेन्द्र कुमार आत्मज बृजमोहन जाति धाकड़ निवासी ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
3. कौशल किशोर आत्मज बृजमोहन जाति धाकड़ निवासी ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
4. हेमन्ता पुत्री बृजमोहन पत्नी प्रेमशंकर जाति धाकड़ निवासी ग्राम रजोपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
5. दी स्टेट ऑफ राजस्थान।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–(1). सुरेन्द्र माहेश्वरी– अधिवक्ता अपीलांट
(2). रविन्द्र खण्डेलवाल–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4

निर्णय

दिनांक 25.07.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 61/2021 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत

किया गया कि ग्राम चकखेड़ली पेमा तहसील पीपल्दा की खसरा नम्बर 41 की रकबा 3.85 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज है। मात्र प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4 हिस्से की आराजी को ही विवादित आराजी कहा गया है। उपरोक्त आराजी मे बृजमोहन के अलावा गुड्डीबाई, तेजप्रतापसिंह, नवलसिंह,परवीरसिंह, बलवीरसिंह, मूर्तिबाई, राधेश्याम का नाम भी सहखातेदारों के रूप मे दर्ज है। लेकिन अन्य सहखातेदारान आवश्यक पक्षकार नहीं होने से वाद मे पक्षकार नहीं बनाये गये है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 बृजमोहन के पौत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 4 पुत्र तथा प्रतिवादी संख्या 3 पुत्री है। प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सहदायिक सम्पत्ति है, जो पैतृक आराजी होने से उक्त आराजी मे वादीगण का जन्म से ही हित निहित है। चूंकि उक्त आराजी वादीगण की सहदायिक सम्पत्ति है जिसके वादीगण कोपार्सनर है ,इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज होने मात्र से वह उक्त आराजी का खातेदार टीनेन्ट नहीं हो जाता है, अपितु वादीगण का प्रतिवादी संख्या 4 के साथ उक्त आराजी मे 1/16 हिस्सा समभाग मे निहित है, जिसे विधितः वादीगण न्यायालय श्रीमान की सहायता से प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण अपने हिस्से के सहकृषक है जिसको वादीगण विभाजन करवाकर पृथक से खातेदारी मे दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम उक्त आराजी मे राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 2 गैर कानूनी तरीके से वादीगण की बिना सहमति व बिना अनुमति के तथा यह जानते हुए कि उक्ता आराजी मे वादीगण का जन्म से ही हिस्सा निहित है, को खसरा नम्बर 41 रकबा 3.85 हैक्टेयर मे प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से 1/4 को दिखावटी बिना प्रतिफल के व बिना कब्जा अन्तरण के विकय–पत्र द्वारा अपने पक्ष मे हस्तांतरित करवा ली है । प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष मे किया गया दिखावटी बिना प्रतिफल व बिना कब्जा, विकय–पत्र पूरी तरह से अवैध व गैर कानूनी है। उक्त आराजी मे वादीगण के हिस्से तक प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष मे किया गया तथाकथित विकय–पत्र अवैध व प्रभावशून्य है तथा वादीगण के हितों के विरूद्ध प्रभावहीन है। अब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आपस मे मिलीभगत व जालसाजी करके राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज अपने नाम का फायदा उठाकर उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। अन्त मे खसरा नम्बर 41 की रकबा 3.85 हैक्टेयर वाके माल चकखेडली पैमा मे प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4 हिस्से मे से वादीगण को व प्रतिवादी संख्या 4 को संयुक्त रूप से 1/16 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया। तथा

प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष मे किया गया विक्रय–पत्र वादीगण के हिस्से तक वादीगण के विरूद्ध प्रभावशून्य घोषित किये जाने का निवेदन किया साथ ही प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वह वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नहीं करे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 2 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया। दिनांक 07.07.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2022 से असंतुष्ट होकर वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 स्वयं उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं न्याय संचिका मे प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 4 द्वारा पेश कर्दा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 आप्ता दीवानी स्वीकार कर वादीगण अपीलांटगण द्वारा पेश किये गये वाद को खारिज करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर नहीं फरमाया कि ग्राम चक खेड़ली पेमा तहसील पीपल्दा की खसरा नम्बर 41 की रकबा 3.85 हैक्टेयर भूमि जिसके राजस्व अभिलेख मे 1/4 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बृजमोहन है। उक्त भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति है जिसमे वादीगण

अपीलांटगण का जन्म से अधिकार निहित है। राजस्व अभिलेख मे गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर प्रतिवादी ऐस्पोडेन्ट संख्या 2 जितेन्द्र कुमार ने प्रतिवादी ऐस्पोडेन्ट संख्या 1 बृजमोहन से छल करके अपने नाम एक दानपत्र तहरीर करवा लिया है जो वादीगण अपीलांटगण के हको के विरूद्ध बेअसर है। वादीगण अपीलांटगण को उक्त भूमि मे अपने अधिकारों की घोषणा करवाना आवश्यक हो गया है ताकि वादीगण अपीलांटगण के हक तक उक्त दानपत्र अवैध एवं निष्प्रभावी हो सके। इसलिये वादीगण अपीलांटगण ने उक्त भूमि मे अपने अधिकारों की घोषणा हेतु परीक्षण न्यायालय मे वाद पेश किया था, जो पूर्णतया मेन्टेनेबल था, जिसे आदेश 7 नियम 11 के तहत निरस्त करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों को समझे बिना ही दावा वादीगण अपीलांटगण खारिज करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर तनकीयात कायम कर पक्षकारान की शहादत लेकर बाद बहस गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निर्णय करना चाहिऐ था। प्रतिवादी ऐस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री बृजमोहन द्वारा अपीलांट के पक्ष मे किये गये दान को भी इसी आधार पर निरस्त करने के लिये जितेन्द्र कुमार एवं हेमन्ता ने अधीनस्थ न्यायालय मे वाद संख्या 30 सन् 2021 बउनवान जितेन्द्र कुमार बनाम बृजमोहन आदि पेश किया था, उक्त वादमे प्रतिवादीगण अपीलांटगण द्वारा पेश किये गये आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना–पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.07.2022 को ही खारिज कर दिया। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही प्रकार के प्रकरणों मे विपरीत निर्णय पारित कर न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना की है। वादी ने प्रश्नगत भूमि को पैतृक सहदायिकी की भूमि होने का कथन किया है, परन्तु वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रश्नगत भूमि पैतृक साबित होती हो। न्यायिक दृष्टांतो को उद्धृत करते हुए अधिवक्ता ऐस्पोडेन्ट ने कथन किया कि वादी अपीलांट को अपने कथनों के समर्थन मे दावे के साथ पर्याप्त दस्तावेज संलग्न करने होंगे। बिना दस्तावेजों के केवल अभिवचनों का कोई मूल्य नहीं है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत 2018(4) डी.एन.जे. (राज.) 1374, 2018(1) सी.जे. (सिविल)(राज.) पेज 374, 2018(1) सी.जे.(सिविल) पेज 646, 2019(1) सी.जे.(सिविल)(राज.) पेज 275, 2018(2) सी.जे. (सिविल)(राज.) 952, 2019(1) डी.एन.जे. (सी.जे.) पेज 1 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2022 को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि हस्तगत वाद प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की विवादित कृषि आराजी को संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सहदायिक सम्पत्ति मानते हुए, पैतृक सम्पत्ति बताकर, उक्त आराजी को स्वयं की सहदायिक सम्पत्ति बताकर प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि मे वादीगण के कथित निहित हक हिस्से की घोषणा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया है। विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वयं खरीद की हुई है, जो प्रतिवादीगण संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति नहीं है, इसलिए विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की आराजी होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को उसके पूर्वजो से प्राप्त नही हुई है, न ही यह सहदायिक सम्पत्ति है। वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी व हक हिस्से की भूमि के संबंध मे वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सहदायिक सम्पत्ति नहीं है, न ही पैतृक सम्पत्ति है। इसलिए उक्त आराजी वादीगण की पैतृक सम्पत्ति नहीं हो सकती है। प्रतिवादी संख्या 1 की उक्त स्वअर्जित विवादित आराजी जिसे प्रतिवादी संख्या 2 को दान किया है, उक्त आराजी मे वादीगण का कोई हित निहित नहीं है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 की ओर से न्यायिक दृष्टांत सी.जे.(सिविल)(राज.) 2022(2) पेज 1251, आर.आर.टी. 2021(1) पेज 535, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 534, सिविल कोर्ट केसेज 2022(2) पेज 227 प्रस्तुत किये। अन्त मे अपील अपीलांटगण खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2022 को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2022 मे यह उल्लेखित किया है कि " पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड मे ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तथा वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जो विवादित आराजी को वादीगण की पैतृक आराजी(सहदायिक सम्पत्ति) होना प्रकट करता हो, ऐसी स्थिति मे विवादित आराजी सहदायिक सम्पत्ति नहीं होने के कारण विवादित आराजी के संबंध मे कोई वाद कारण उत्पन्न होना प्रकट नहीं होता है तथा वादीगण का वाद, वाद कारण गठित नहीं करने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।"

हस्तगत अपील के बिन्दु संख्या 11 मे अपीलांट ने यह उल्लेखित किया है कि "प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री बृजमोहन द्वारा अपीलांट के पक्ष मे किये गये दान को भी इसी आधार पर निरस्त करने के लिये श्री जितेन्द्र कुमार व श्रीमति हेमन्ता ने अधीनस्थ न्यायालय मे वाद संख्या 30 सन् 2021 बउनवान जितेन्द्र कुमार आदि बनाम बृजमोहन पेश किया था। उक्त वाद मे प्रतिवादीगण अपीलांट द्वारा पेश किये गये आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.07.2022 को ही खारिज कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही प्रकार के प्रकरणों मे विपरीत निर्णय पारित कर न्याय के सामान्य सिद्धान्तो की अवहेलना की है।" जिससे प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय मे समान प्रकृति के दो प्रकरणो मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपरीत निर्णय पारित किया गया है, जो सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजी प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी की नहीं होकर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट सख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी मे वादग्रस्त आराजीयात को वादीगण अपीलांटगण की पैतृक सम्पत्ति नहीं होना बताकर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति होना बताया है जबकि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय मे और न ही न्यायालय हाजा मे ऐसा कथन किया गया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा किये गये कथन के आधार पर ही वादग्रस्त आराजी को वादीगण की पैतृक सम्पत्ति नहीं होने के कारण वादग्रस्त आराजी के संबंध मे वादीगण का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होना मानते हुए आदेश 7 नियम 11 के तहत दावा खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की प्रारंभिक अवस्था में ही किस साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त आराजी को वादीगण की पैतृक आराजी नहीं होना माना है, जबकि खातेदार रहे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी के पैतृक सम्पत्ति नहीं होने के संबंध मे कोई कथन नहीं किया गया। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वर्तमान में जीवित है, उसने अधीनस्थ न्यायालय में अभी कोई पक्ष नहीं रखा है। यदि तर्क हेतु यह मान भी लिया जाये कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है, तब भी वादग्रस्त आराजीयात के पैतृक अथवा स्वअर्जित होने का निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर होना था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर

प्रदान किये बिना ही आदेश 7 नियम 11 के तहत दावा खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा के प्रकरण संख्या 61/2021 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2022 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत रूप से नवीन निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 18.08.2023 को उपस्थित रहे।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 25.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा